तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 26 / 2025 जीसीएमएस : 2025 / 63 जसवीर सिंह बनाम गुरचरण सिंह आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
23.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री केवल बाघला उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 की ओर से इकबाल जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादीगण जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण राजीनामा प्रस्तुत कर वाद राजीनामा अनुसार डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पर प्रकरण में राजीनामा होने के कारण बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र खाता विभाजन के अनुतोष पर आधारित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत पेश किया गया है। प्रकरण में वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि चक 40 जीबी के खाता सं. 60, 29 व 61 की में दर्ज मु.नं. 42, 52, 59 की खातेदारी भूमि का घरू बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन किया जावे। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रतियां जमाबंदी का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान पाया गया कि विवादित भूमि चक 40 जीबी खाता सं. 60 एवं 61 में दर्ज भूमि वादी के नाम से एकल खाता में दर्ज है जिसका वादी एकमात्र खातेदार है तथा चक 40 जीबी खाता सं. 29 में दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम से संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार वादी के नाम की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में प्रतिवादीगण सहखातेदार नहीं है तथा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज भूमि में वादी सहखातेदार नहीं है। चूंकि वाद पत्र का मुख्य आधार खाता विभाजन है तथा पक्षकारान के नाम से राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण भूमि संयुक्त खाता में दर्ज ही नहीं हैं ऐसी स्थिति में वाद पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:29:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner